

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 10(7)ग्रावि/नरेगा/संविदा/2013/68418

जयपुर, दिनांक 19 JAN 2018

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम,
जिला जयपुर।


विषय :- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारी को देय पितृत्व
अवकाश के संबंध में मार्गदर्शन बाबत।

प्रसंग :- आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक 534 दिनांक 05.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि महात्मा गांधी नरेगा
योजनान्तर्गत वित्त विभाग द्वारा जारी संविदा अनुबंध में पितृत्व अवकाश का कोई प्रावधान नहीं
है। अतः योजनान्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को पितृत्व अवकाश देय नहीं है।


भवदीय


(शाहीन अली खान)

अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान (जयपुर के अलावा)
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजस्थान।
3. रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस